

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

श्रावपुर, दिनांक

क्रमांक/संख्या-४७५/सत-१/२००६ राज्य शासन विवारोपरांत एतद् छारा रामबृद्ध
मेजान नारायणपुर जो ओवीनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु जिला नगदत्तपुर
क्षेत्र तहसील नारायणपुर के ग्राम नारायणपुर में शासकीय भूमि छारा नंबर
११५७ रकडा २९ '१६ इकड़े से १० एकड़ भूमि पुस्ताव अनुसार वार्षिक लिये जाने
की स्वीकृति प्रदान करता है। कृया भूमि की प्रव्याप्ति एवं भू-भाटक की घटा
वर्ष २००६-०७ की गाईठ लाइन के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र छाड़-५३॥
के प्राचीन के अनुस्प छोरे तथा उसके अनुसार प्रव्याप्ति तथा भू-भाटक जगा क्षेत्र के
अपरांत ही पद्धते का निष्पादन करें। सामान्य शर्तों के अतिरिक्त पद्धते पर जाये
तिथे विवार शर्ते लागू रहेंगी :-

- १/- भूमि के किसी भी उपयोग व उत पर किसी भी निर्णय के पूर्व सभी
भौपचारी रक्तार्थ पूरी करनी होगी एवं वार्षिक अनुमति, अनुमोदन
एवं अनापीत्तयों सर्वोच्च नगर निगम, नगर पालिका तथा ग्राम
निकेतन विभाग आदि से हेतु होगी।
- २/- तीस वर्ष की लोण भविध के पश्यात् पद्धते के नवीनीकरण पर विवार
करते समय नियमानुसार वार्षिक भू-भाटक की बदोत्तरों को जायेगी।
- ३/- भूमि का उपयोग अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा अन्यथा अनापीत्त
क्षेत्रार मानकर भूमि शासन में निर्हत कर दी जायेगी या भूमि का
पूर्ण बांध शूल्य देय प्रेनाल्टी आदि के साथ किया जायेगा।
- ४/- भूमि या उसके किसी भाग या उत पर बने किसी भी अन्न आदि
यों उपकरण के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्तियों
को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पिक्क्य किया जायेगा,
या किसी अन्य प्रकार ये किसी अन्य उपयोग के लिये दिया/उपलब्ध
कराया जायेगा।

५२

१८/३/२००७

अधिकारी
जी. आर्जुन
कुमार

अधिकारी
के संपर्क
संकेत
नं. ३१०७

निरन्तर-२

मुख्यमंत्री
२००७-०८

- ५/- यीक भी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये
नहीं होता है या बाद में कभी बद्ध कर दिया जाता है
तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं संपर्कों के साथ
शासन में निर्हित हो जायेगी और आबंटीत्यों को उसका
मुआवजा देय नहीं होगा ।
- ६/- शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा कलेक्टर या उसके
अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों
के पालन का निरीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि एवं उस
पर निर्मित पीलार के निरीक्षण का अधिकार होगा ।
- ७/- आदेश जारी होने की तिथि से सत्त्वा से प्रब्याप्ति की संपूर्ण
रात्रि व भू-भाट्टक रात्रि छः माह के अन्दर जमा कराई जाये यीक निर्धारित
अवधि तक प्रब्याप्ति व भू-भाट्टक जमा नहीं कराई जाती तो आबंटन आदेश
स्वेच्छा निरस्त माना जावेगा ।

उत्तीर्णद के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

१ विजयम कुमार ॥
अवर सचिव
उत्तीर्णद शासन, राजस्व विभाग

पुरुष/सफ-४-२४/सत-१/२००६


रायपुर, दिनांक 22 FEB 2007

प्रोतीक्षियः-

- १ विशेष सहायक, मामनीय गवर्नर जी ।
२/- कलेक्टर, जिला नगदलपुर ॥ बस्तर ॥ छ०ग०
३/- सचिव, रामकृष्ण मिशन, नारायणपुर जिला बस्तर छ०ग०
जी और सूचनार्थ सर्व पालनार्थ ।

—f—
अवर सचिव
उत्तीर्णद शासन, राजस्व विभाग

४२.२९



ग्राम-नारायणपुर
 प.ह.नं.- १२ नारायणपुर
 तह./स.नि.सं.- नारायणपुर
 जिला - नारायणपुर
 रोड़ा - १/४०००
 क्रम - २०९९/१२
 सत्य प्रतिलिपि
 मे २९/३/२०१२
 प.ह.न. १२
 नारायणपुर

पृष्ठा ।

पाने वाले।

નોંધ રહેલા/નોંધ

Developed By N



आवेदन अंक/ १३५४ / के अनुसार

વિધિદ્વારા લાભી હોય ઉદ્દેશી

तातोलिपि देने वाले के छसाइट
नाम, पद ~~मुख्य~~ मिनाल :
~~प्रभु~~
श्री-कृष्ण

१५८६ ।

Page 3673 of 3722

मात्र वही जगत्कर्ता है जिसने यहाँ कहा है
कि यहाँ में हम सभी की जगह-जगहीं
जगह-जगह संसार में जीवन का जगह-जगह

फल्गु दे-॥

गुरु

आम नामांकन	उपका	००५ अ	१.३.४.	ग्रामांक	तहसील	प्रदेशांक	विला	वर्ता	वर्ष	१९६१-१९६२
समाज	समाज (अंग भौतिक प्रकार तात्त्विक नहीं ले गया ग्राम)	समाजांक नाम, उपके अंतर्गत का भौतिक नाम तथा विभाग जिसका प्रतिक्रिया ग्रामों तथा ग्रामांक की गई है तथा एवं उपका का नाम	जिसी त्रुटी आविष्या ग्रामांक का प्रतिक्रिया नामकी व्यवस्था विभा ग के विवरों का नाम, जिसका नाम ग्राम का नाम ग्राम अंतर्गत ग्राम एवं उपका ग्राम का नाम	समाजांक नाम विभाग नामकी व्यवस्था ग्राम का नाम ग्राम का नाम	जाते ही घृणा विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम	जाते ही घृणा विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम	जाते ही घृणा विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम	जाते ही घृणा विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम	जाते ही घृणा विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम	जाते ही घृणा विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम
१	३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१२५२	१२५२			१२५२						समाजांक विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम
		समाजांक विभाग ग्राम का नाम								समाजांक विभाग विभाग ग्राम का नाम ग्राम का नाम

Developed By NIC



ਅਤੇ ਦਸ ਤੁਲ/1348/ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਿਛਿਆ ਕਾਮੀ ਟੋਂਕ ਤਥਾਪ।

प्रतिलिपि देम वाले के हस्ताक्षरः
नाम, पदार्थ दिनांकः

29-3-2012